न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 03/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/162

1. रामप्रताप पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 जेएसडी(बुगिया) तहसील श्रीवियजनगर
2. सरपंच ग्राम पंचायत चक 4 जेएसडी(बुगिया) तहसील श्रीवियजनगर

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री जुल्फकार खान, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री हरेन्द्र शेखों, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 1

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26/06/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रकरण(प्र.सं. 58/15) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 40 दिनांक 15.08.2013 जो बिना कब्जा के विनियमितीकरण कर जारी किया गया हैं को निरस्त करने हेतु निगरानी मय प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधि. एवं 96 सीपीसी प्रस्तुत की हैं। निगरानी से पूर्व प्रार्थना पत्रों पर निर्णय किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।
2. निगरानीकर्ता प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी नं. 1 के नाम से दिनांक 15.08.2013 को पटटा नं. 40 जारी किया है जबकि उसका कोई कब्जा नहीं हैं। पटटा पूर्णतया विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी का ग्राम 4 जेएसडी में 80 गुणा 85 का रिहायशी भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में 110 गुणा 80 का पटटा बनाकर दिया। प्रार्थी का 4 जेएसडी में में 80 गुणा 85 का भूखण्ड है जिस पर चार दीवारी बनी हुई हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलकर प्रार्थी को बिना सुने व पक्षकार बनोय अप्रार्थी सं. 1 के नाम से पटटा जारी कर दिया हैं। इसलिए प्रार्थी निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी सद्भाविक नागरिक है व हितबद्ध पक्षकार हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी दर्ज कर मेरिट पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

निगरानीकर्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आवंटन पटटा सं. 41 को निरस्त होने के पश्चात अप्रार्थी नं. 1 द्वारा धमकी दी कि मैने आपका पटटा निरस्त करवा दिया है आपके प्लाट पर कब्जा करूंगा आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाये। विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित भूखण्ड को कोई भी व्यक्ति शिकायत द्वारा अथवा प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त करवाने का राज्य सरकार के हित में पत्र ... प्रारम्भ से शून्य आदेश को कभी भी चैलेंज किया जा सकता हैं, जिसके लिए ... मियाद सीमा लागू नहीं हैं। निगरानी पेश करने में हुई देरी को माफ कर ... का निर्णय मेरिट पर करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 जवाब ... पत्र धारा 5 मियाद अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम का पटटा सन् 2013 में जारी हो गया था जिसकी विधि सम्मत तरीके से प्रार्थी को जानकारी है प्रार्थी अप्रार्थी का सगा भाई है जो प्रार्थी स्वयं क. कीकरवाली गांव में रहता है व अप्रार्थी चक 4 जेएसडी में निवास करता है प्रार्थी को अप्रार्थी के पटटा जारी होने की विधि सम्मत जानकारी होने के बावजूद यह मियाद बाहर निगरानी पेश की है जो दर्ज किये जाने योग्य

जिला कलक्टर अनूपगढ़

नहीं हैं। निगरानी पेश करने में हुई देरी माफ करने योग्य नहीं हैं। निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिकवक्तागण को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के प्लाट पर कब्जा करना चाहता हैं। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी विधि विरूद्ध पटटा से प्रभावित पक्षकार हैं। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा विधि विरूद्ध होने के कारण राज्य हित में निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। पंचायतराज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायहित में प्रकरण का निर्णय मेरिट पर किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी निगरानीधीन पटटा से प्रभावित नहीं हैं ना ही प्रार्थी गांव 4 जेएसडी का निवासी हैं। निगरानी देरीना पेश की गयी हैं देरी को क्षमा करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 97 राज. पंचा. अधि. के तहत कोई भी हितबद्ध व्यक्ति आवेदन कर सकता हैं। प्रश्नगत पटटा में अंकित नक्शा में भी अहाता के दक्षिण दिशा में रामप्रताप का अहाता होना दर्शाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया हैं कि गांव 4 जेएसडी में पटट सं. 41 का भूखण्ड प्रार्थी का था जो कि अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके संबंध में प्रकरण मा. उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में विचाराधीन हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ प्र.सं. 79/14 श्रीराम बनाम रामप्रताप आदि में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 में अप्रार्थी सं. 1 के आवेदन के आधार पर प्रार्थी का पटटा खारिज किया गया हैं। अतः प्रार्थी प्रकरण से हितबद्ध पक्षकार हैं। निगरानीधीन प्रश्नगत पटटा वर्ष 2013 का हैं तथा निगरानी दिनांक 13.07.2015 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। इस संबंध में मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटीशन नं. 5906/2019 किशनाराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 अवलोकनीय हैं जिसमें प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार "Though it is true that the concept of delay does not apply in strict sense to the revisional jurisdiction conferred upon the District Collectr by virtue of Section 97 of the Panchayati Raj Act, but while entertaining a revision filesd after significant delay, the court has to remain mindful of the reasons behind the delay. If there is no justification whatsoever for the dela, then the revision should normally should not be entertained. Furthermore, Hon'ble Full Bench of this court in the case of Tara (supra) considered the very issue of delay and held that a period of three years should normally be sufficient to be treated to be the outer limit for entertaining a challenge to a patta or any such allotment." इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की अवधि को मियाद अवधि हेतु उचित माना हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पटटा वर्ष 2013 का हैं तथा वर्ष 2015 में निगरानी पेश की जा चुकी हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के आलोक में अन्दर मियाद माना जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं, तथा निगरानीकर्ता की निगरानी अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

3. निगरानीकर्ता द्वारा निगरा[illegible] है कि ग्राम पंचायत 4 जेएसडी (बुगिया) द्वारा जारी पटटा नं. 40[illegible]5.08.2013 को जारी है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध व प्र[illegible]रस्त योग्य है। अप्रार्थी ग्राम 4 जेएस[illegible] कीकरवाली का रहने वाला हैं गांव कीकरवा[illegible]कान है वोटर लिस्ट सन् 1998, 2003, 2009, 2013 जिससे यह साबित है कि [illegible]र्थी गांव कीकरवाली का स्थायी निवासी है। गांव कीकरवाली में अप्रार्थी का रिहायशी भूखण्ड है जहां वह स्वयं व उसका परिवार उासकी पत्नी व बच्चे रिहायश कर रहे हैं। वहां का ही उसका राशन कार्ड बना हुआ हैं। 2014 में पटटा जारी हुआ तब से बुगीया में रह रहा हैं। अप्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कतई कब्जा नही हैं धारा 157क में केवल उन्ही मकानों का विनियमितिकरण किया जा सका है जो 50 वर्ष पूर्व मकान बने हुए है खाली प्लाट का विनियमन नहीं किया जा सकता। 300 गज का प्लाट का ही विनियमन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:51:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। पटटा जारी करने से पूर्व पंचायत ने ना तो आपति नोटिस जारी किया ना ही कोई नक्शा मौका पर जाकर बनाया व ना ही पडौसियों को कोई सूचना दी यह प्लाट प्रार्थी के ही कब्जा में है अप्रार्थी का इस प्लाट से कोई लेना देना नहीं है अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 2 से मिली–भगत करके पटटे जारी करवा लिया जो गैर नानूनी है नियम 148 की पालना नहीं की गयी। पटटा जारी करने से पहले ना तो नजरिया नक्शा मंगवाया व ना ही तीन पंचो की कमेटी की रिपोट मंगवाई। नियम 146 की पालना नहीं की गयी। अप्रार्थी सं. 2 ने मात्र 200 रूपये में 80 गुणा 110 का पटटा बना दिया इस जमीन की निलामी की जाती तो इसकी आय से ग्राम पंचायत को लाखो रूपये की आमदनी होती। प्रार्थी का ग्राम 4 जेएसडी में 80 गुणा 85 का रिहायशी भूखण्ड है प्रार्थी का पटटा अप्रार्थी नं. 2 ने केवल110 गुणा 80 बनाकर दिया शेष प्लाट प्रार्थी के कब्जा में ही हैं। प्रार्थी के भूखण्ड के चारों ओर चारदीवारी हैं। अप्रार्थी का कभी इस स्थान पर कब्जा नहीं रहा अप्रार्थी नं. 2 ने प्रार्थी को बिना सुने व बिना पक्षकार बनये अप्रार्थी नं. 1 के नाम से पटटा जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से ग्राम पंचायत 4 जेएसडी बुगिया द्वारा जारी पटटा सं. 40 दिनांक 15.08.2013 80 गुणा 110 निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. गैर निगरानीकर्ता सं. 1 जवाब निगरानी पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी गांव 4 जेएसडी बुगिया का ही रहने वाला है इसी रिहायशी मकान में पिछले 40 वर्षों से निर्वाद रूप से रह रहा हैं। अप्रार्थी नं. 1 का पहला वोट 1988 में प्रथम बार बना था जो इसी स्थान इसी घर में रहता हुआ बना हुआ है अप्रार्थी के नाम से बिजली बिल आज से 25 वर्ष पहले से अप्रार्थी के नाम चलता आ रहा हैं। अप्रार्थी का नाम तेजाराम दर्ज हो गया था जिसे बाद में दुरूस्त करवाकर के श्रीराम करवा लिया गया था। 4 जेएसडी की वोटर लिस्ट 1995,1998,2008,2013,2018 में अप्रार्थी का नाम दर्ज हैं। अप्रार्थी के बच्चे व पत्नी इसी घर में निवास कर रहे हैं। नियम 157ख में 50 वर्षों के दौरान बनने वाले मकानों का भी नियमन का प्रावधान है अप्रार्थी ने 50 वर्षों के दौरान ही यह मकान बनाया गया हैं। इसकी नियमन राशि पंचायत में जमा करवा दी है। पटटा जारी होने की दिनांक को 300 वर्गगज से ज्यादा का पटटा बनाया जा सकता था। पटटा जारी करने से पूर्व पंचायत ने विधि सम्मत काय्रवाही करने से पूर्व आपति नोटिस जारी किये गये थे, मौका पर जाकर नक्शा बनाया गया था व अडोसी पडोसी के आपति नोटिस पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। तीन पंचों की कमेटी की रिपोर्ट भी आई हैं। प्रार्थी ने रंजिशवश निगरानी पेश की हैं। अप्रार्थी के पिता की चक 4 जेएसडी के प.नं. 134/370 कि.नं. 1 ता 18 में 18.00 बीघा रकबा दिनांक 31.01.1971 से पुख्ता आवंटन है तथा अप्रार्थी इस रकबा को इस मकान में रहते हुए ही काश्त योग्य बनाया हैं। अप्रार्थी के पिता को यह रकबा आवंटन होते ही यहा रिहायशी मकान बनाकर निवास शुरू कर दिया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी के पटटा 41 के खिलाफ निगरानी 79/14 पेशी की थी तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को प्रार्थी का पटटा खारिज कर दिया था उस रंजिश की वजह से प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की हैं अप्रार्थी के पटटेशुदा भूखण्ड मकानों में प्रार्थी का कोई हक नहीं बनता हैं। अगर प्रार्थी को प्लाट से कोई आपत्ति हैं तो वो अपील कर सकता था धारा 61 पंचायती राज अधिनियम में अपील का प्रावधान हैं। निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगरानीकर्ता अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा विधि विरूद्ध हैं। नियम [illegible] पटटा दिया जा सकता था खाली प्लाट का नहीं। पटटा केवल [illegible] का दिया जा सकता था लेकिन पंचायत द्वारा [illegible] पटटा जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति सूचना जारी नहीं कर [illegible] तरीके से पटटा जारी कर दिया। प्रार्थी के कब्जाशुदा भूखण्ड का पटटा अप्रार्थी के नाम जारी कर दिया जो निरस्त योग्य हैं। अतः निगरानीधीन पटटा [illegible] विरूद्ध होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:51:33 IST
Reason: SelfAttested

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत पटटा नियमानुसार जारी किया गया हैं। पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया था। वार्ड पंच की कमेटी से जांच करवा पड़ौसीयों से ब्यान लिये गये थे एवं मौका नक्शा भी बनाया गया था। जिस समय पटटा जारी किया गया था उस समय 300

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

वर्ग गज की सीमा नहीं थी। प्रार्थी सद्भावी नहीं हैं, पूर्व में अप्रार्थी के आवेदन के आधार पर न्यायालय अतिरक्त जिला कलक्टर के द्वारा प्रार्थी का पटटा खारिज किया गया हैं, जिससे रंजिशवश यह निगरानी पेश की गयी हैं। निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत 4 जेएसडी (बुगिया) के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) पुराने भवनों के विनियमितिकरण के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 15.08.2013 को अहाता सं. 132 दक्षिणी भाग का पटटा जारी किया हैं, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी पेश की गयी हैं। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 4 जेएसडी बुगिया द्वारा प्रस्तुत पटटा पत्रावली, खसरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया। जिस अनुसार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अहाता सं. 132 के दक्षिणी भाग साईज 80 गुणा 110 वर्गफुट के पटटा हेतु आवेदन करने पर पत्रावली कायम करते हुए मौका नक्शा एवं वार्ड पंचों की कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त आपत्ति नोटिस जारी कर, नोटिस मियाद पूर्ण होने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर 200 रूपये राशि वसूल कर पटटा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन पत्र एवं पंचों की कमेटी रिपोर्ट में अप्रार्थी सं. 1 का मकान 20 वर्ष पुराना होना तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा 20 वर्षों से निवास करना अंकित हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा इस संबंध में 10रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें भी 20 वर्षों से कब्जा होने का तथ्य अंकित हैं।

8. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के मूल नियम 157 में प्रावधान हैं कि :–
"157. **पुराने गृहों को विनियमितिकरण** – जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :– (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रुपये (चयनित परिवार से यह राशि वसूल नहीं होगी) (ख) 50 वर्षो का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रुपये परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सूची में सम्मिलित परिवार के लिए खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई राशि देय नहीं होगी तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत कुल देय राशि के 10 प्रतिशत देय होगा।"
ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक 135 दिनांक 11.02.2013 के द्वारा नियम 157 में संशोधन करते हुए 300 वर्गगज से अधिक भूखण्ड के पटटे हेतु 300 वर्गगज से अधिक भूमि के डीएलसी दर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करवाये जाने के प्रावधान किये गये थे।

9. निगरानीधीन पटटा दिनांक 15.08.2013 को जारी किया गया हैं। पटटा भूखण्ड साईज 80 गुणा 110 वर्गफुट यानि 977.77वर्गगज का जारी किया गया हैं। परन्तु पटटा जारी करने हेतु केवल 200 रूपये शुल्क ही जमा करवाया गया हैं, जबकि ग्राम पंचायत को 200 रूपये की नियमन राशि के साथ साथ 300 वर्गगज से अधिक भूमि की डीएलसी दर की 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि अप्रार्थी से जमा करवाने के उपरान्त पटटा जारी करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन पटटा विधिसम्मत नहीं पाया गया हैं।

10. इसके अतिरिक्त पूर्व में अप्रार्थी श्रीराम द्वारा रामप्रताप के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 41 दिनांक 15.08.2013 के विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 19.06.2015 को [illegible] के पटटा को इस खारिज किया कि पटटे पर प.नं. कि.नं. [illegible] अंकित नहीं है इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि भू[illegible] गया है या राजस्व विभाग के रकबा [illegible] सीमा अधिकतम 300 वर्गगज का पालन भी नहीं किया [illegible] गैर निगरानीकर्ता के भूखण्ड एक दूसरे के नजदीक हैं व चिपते हुए हैं जिसका [illegible] अति. जिला कलक्टर के निर्णय में अंकित बहस में हैं। अति. जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय द्वारा निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर, नायब तहसीलदार जैतसर को प्रेषित कर आदेशित किया गय कि दिनांक 15.08.2013 को आवंटित विवादित भूखण्ड व अन्य सभी भूखण्डों की मौका पर जांच करें तथा भूखण्ड तत्समय आबादी में नहीं होकर रकबा राज में हो ता सरपंच 4 जेएसडी बुगिया द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूखण्ड आवंटित करने के लिए उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। निर्णय की एक प्रति श्रीमान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:51:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
जिला कलक्टर अनूपगढ़

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को उक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी सभी पट्टों की वैधता, क्षेत्राधिकार एवं आवंटितों की पात्रता जांच हेतु प्रेषित की जावे। इस प्रकार पूर्व में अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा भी उक्त पट्टे की वैधनिकता को प्रश्नांकित कर जांच हेतु निर्देश दिए गये हैं।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत 4 जेएसडी बुगिया द्वारा अप्रार्थी सं. 1 श्रीराम के पक्ष में जारी पट्टा सं. 40 दिनांक 15.08.2013 को निरस्त किया जाता हैं एव प्रकरण ग्राम पंचायत 4 जेएसडी बुगिया को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अप्रार्थी को पट्टा जारी करने के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः सम्पादित कर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ....26/6/24.... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:51:33 IST
Reason: SelfAttested